न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 13/2024
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024/236

प्रार्थीगण

1. गंगदाराम पुत्र उमाजी, उम्र 48 वर्ष, जाति कलबी, निवासी– डबाल, तहसील– सांचौर, जिला सांचौर।
2. वजाराम पुत्र लीलाजी, उम्र 48 वर्ष, जाति कलबी, निवासी डबाल, तहसील– सांचौर, जिला सांचौर (राज.)।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. अशोक कुमार पुत्र रमेश।
2. गोविन्द कुमार पुत्र रमेश।
3. दिनेश कुमार पुत्र रमेश।
4. सुन्दर देवी पत्नी रमेश ।
5. हीना पुत्री रमेश, जातियान भील, निवासीगण सांचौर।
6. चतरा पुत्र कला।
7. धीरा पुत्र कला।
8. पीरा पुत्र कला।
9. रडमल पुत्र कला।
10. वागा पुत्र कला, जातियान– भील, निवासीगण सांचौर।
11. जेसाराम पुत्र भगवानाराम।
12. जोराराम पुत्र भगवानाराम।
13. मफाराम पुत्र भगवानाराम।
14. रामाराम पुत्र भगवानाराम।
15. हिमताराम पुत्र भगवानाराम, जातियान– भील, निवासीगण सांचौर।
16. जीवाराम पुत्र दलाराम (फौत) के कायम मुकाम
    क. लाधाराम पुत्र जीवाराम।
    ख. [illegible] पुत्र जीवाराम, जातियान– भील, निवासी[illegible] सांचौर।
17. मसराराम पुत्र दलाराम (फौत) के कायम मुकाम
    क.जबराराम पुत्र मसराराम।
    ख.सुरेश कुमार पुत्र मसराराम।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:09:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

ग.महेन्द्र कुमार पुत्र मसराराम, जातियान भील, निवासीगण सांचौर।

18. बजरंग पुत्र वीरा।
19. सीया पत्नी वीरा, जायियान– भील, निवासीगण सांचौर।
20. मसरा पुत्र सुजा, जाति– भील, निवासी सांचौर तहसील– सांचौर, जिला– जालोर।
21. चम्पा पत्नी होती, जाति– रेबारी।
22. नेम्बा पुत्र होती, जाति– रेबारी, निवासी डबाल, तहसील– सांचौर।
23. तहसीलदार (भूमिधारी), सांचौर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

रजु तारीखः–12.11.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री छोगाराम चौधरी, श्री रमेश कलबी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 5, 18 से 22 की ओर से अधिवक्ता श्री नरसीराम चौधरी
3. अप्रार्थी संख्या 6 से 17 एकपक्षीय।
4. अप्रार्थी संख्या 23 की ओर से राजपैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:09:37 IST
Reason: SelfAttested

दिनां[illegible] 2025

1. अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए [illegible] अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण ग्राम [illegible] निवासी है। तथा प्रार्थीगण की शामलाती कृषि भूमि मौजा डबाल पटवार हल्का डबाल [illegible]त खसरा संख्या 656 रकबा 2.52 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम भूमि आई हुई है। जिसमे प्रार्थीगण 1 / 2 हिस्सा आया हुआ है। जिस पर हम काबित काश्त है। तथा प्रार्थीगण सहपरिवार काश्त करते आ रहे है। उक्त खातेदारी खेत में आवागमन का कोई अन्य निकटतम रास्ता नही होने से नियमानुसार निकट से निकटतम रास्ता मौजा डबाल पटवार हल्का डबाल के खेत खसरा संख्या

655 रकबा 1.91 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 1238/656 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम भूमि में से 12 फीट चौड़ा रास्ता, जो सलंग्न नक्शा परिशिष्ठ **अ** में लाल रंग से दर्शाया गया है, प्रार्थीगण को दिया जाना न्यायहित में अति आवश्वयक है। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार स्वीकार फरमाकर प्रार्थीगण के खातेदारी खेत में आने–जाने हेतू अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा डबाल पटवार हल्का डबाल के खेत खसरा संख्या 655 रकबा 1.91 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 1238/656 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम भूमि में से 12 फीट चौड़ा रास्ता सलंग्न नक्शे मे लाल रंग से उल्लेखित भूमि को राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ते की भूमि के रूप में दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना–दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किय गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 5, 18 से 22 की ओर से अधिवक्ता श्री नरसीराम चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 6 से 17 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. अप्रार्थी 1 से 5, 18 से 22 की ओर से अधिवक्ता श्री नरसीराम चौधरी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः– पद संख्या 01 में वर्णित तथ्य जानकारी के अनुसार स्वीकार हैं प्रार्थीगण की भूमि ग्राम डबाल पटवार हल्का डबाल में आई हुई है। पद संख्या 02 में वर्णित तथ्य जानकारी के अनुसार स्वीकार हैं। प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के खातेदारी खेतो में आवागमन करने हेतू रास्ते की आवश्यकता है, जो हम अप्रार्थीगण के मौजा डबाल पटवार हल्का डबाल के खेत खसरा संख्या 655 रकबा 1.91 हैक्टेयर भूमि में से 12 फीट नया रास्ता प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शायेनुसार भूमि को अवाप्त कर प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेतों में आवागमन करने हेतु रास्ता दिया जाये तो हमें कोई आप्पति नही है। तथा हमे उक्त भूमि के एवज मे पैसो की आवश्यकता नहीं है।

4. न्यायालय द्वारा पत्रांक/कोर्ट/2025/316 दिनांक 18.07.2025 द्वारा तहसीलदार सांचौर से वर्ततान मौका जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार सांचौर से मौका जांच रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./251ए/2025/3228 दिनांक 01.08.2025 प्राप्त। भू अभिलेख निरीक्षक सांचौर की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 18.07.2025 अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम है। प्रार्थीगण को खसरा संख्या 1238/656 में से 16 मीटर लम्बाई व 04 मीटर [illegible] संख्या 655 में से 130 मीटर लम्बाई व 04 मीटर चौड़ाई अनुसार रास्ता दिया [illegible] तथा उक्त प्रस्तावित भूमि पर ईमारती वृक्ष व पक्का निर्माण [illegible] नहीं है।

5. बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों का उल्लेख करते हुए नवीन मार्ग राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवे[illegible] किया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में नवीन मार्ग राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने पर किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं करवाई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात्, नजरी नक्शा, तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:09:37 IST
Reason: SelfAttested

सांचौर से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।

6. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है :– 251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

गैर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या [illegible] करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट क[illegible]वाली [illegible]भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि [illegible] अभिलेखों [illegible] के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपभारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा [illegible]पभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

7. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता उसी दशा में स्वीकृत किया जावेगा, जब खातेदार को रास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:09:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा निकटतम स्थान से स्वीकृत किया जावेगा। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के खातेदार खेत पहुंचाने हेतु कोई रिकॉर्ड मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा की गई मांग, नजरी नक्शा एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5, 18 से 22 द्वारा रास्ते हेतु दी गई सहमति व भू अभिलेख निरीक्षक सांचौर की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 18.07.2025 अनुसार अनुसार प्रार्थीगण के खसरा नं. 656 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 1238/656 में से 16 मीटर लम्बाई व 04 मीटर चौड़ाई , खसरा संख्या 655 में से 130 मीटर लम्बाई व 04 मीटर चौड़ाई अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि सरहद मौजा डबाल पटवार हल्का डबाल के खसरा नम्बर 656 रकबा 2.52 हैक्टर में आवागमन हेतु खसरा संख्या 1238/656 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 655 रकबा 1.91 हैक्टेयर में से तहसीलदार सांचौर से प्राप्त मौका जांच अनुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते हैं।

:– आदेश :–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवन होने से स्वीकार किया जाता है । प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा व तहसीलदार सांचौर की जांच रिपोर्ट अनुसार मौजा डबाल पटवार हल्का डबाल के खसरा नं. 656 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 1238/656 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 655 रकबा 1.91 हैक्टेयर में से 4 मीटर चौड़ाई रखते हुये तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 70 एक व दो के अनुसार वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि की गणना कर निर्धारण प्रतिकार राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर खसरा संख्या 655 के खातेदार को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई भूमि का भुगतान करावे। प्रार्थीगण द्वारा राशि जमा करवाने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावे। अप्रार्थीगण खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखे जब तक की ऐसे खातेदार राशि प्राप्त न कर लें। इस राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार सांचौर को पालना तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

(प्रमोद [illegible] आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:09:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला जालोर

निर्णय आज दिनांक **26.09.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)